

सेवा में,

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
उच्च न्यायालय प्रयागराज- इलाहाबाद 2060

विषय- न्यायालय F.T.C. II झांसी पीठासीन श्री विमल प्रकाश आर्या द्वारा की जा
रही अनियमितताओं के संबंध में।

श्रीमान जी,

उपरोक्त न्यायालय में नियुक्त पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या द्वारा पक्षकारों का शाम 06:00 बजे तक तिथियां नियत ना कर अनावश्यक उत्पीड़न किया जा रहा है एवं उक्त अधिकारी भ्रष्ट आचरण में लिप्त है एवं मनमाने तरीके से पत्रावलियों में आदेश पारित करते हैं जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-

1. सत्र परीक्षण सं0- 55/2010 रारकार बनाम भूपेन्द्र एवं अधारा 302/201 IPC थाना सीपरी बाजार के प्रकरण में कोविड संक्रमण के दौरान दिनांक 11.02.2021 को अभियुक्त कल्लू उर्फ राजकुमार के अधिवक्ता द्वारा दिए गए हाजिर माफी प्रार्थना को निरस्त कर N.B.W जारी कर दिए गए दिनांक 16.02.2021 को अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म समर्थन कर NBW निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिसे खारिज करते हुए अभियुक्त को कोविड संक्रमण के समय में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया तत्पश्चात् अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय से स्वीकृत हुआ इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा कोविड संक्रमण को दौर में एक ही तिथि के NBW पर करीब 20 दिन अभियुक्त को जेल में रहना पड़ा इस प्रकार का आचरण अत्याधिक कठोरता पूर्ण व गलत है।
2. यह कि सत्र परीक्षण सं0 244/19 बनाम सुधीर कुशवाहा धारा 380, 411, 413, 420 आई0पी0सी0 थाना नवाबाद में अभियुक्त 27.07.2020 को जेल से रिहा होने के बाद एवं कोविड के कारण लॉकडाउन लग जाने के कारण व

Cont...2

Appdtiv - 07.05.21
ombv - 02.03.21

Riyedh

8/95

2/1

न्यायालय का काम-काज बाधित रहने के कारण उसे अग्रिम तिथि हेतु कोई सूचना न्यायालय से प्राप्त नहीं हुई और दिनांक 05.01.2021 को NBW जारी कर दिये गये जिसमें वह 20.01.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया एवं महज एक तिथि के वारण्ट पर उसे काफी समय तक जेल में निरूद्ध रहना पडा पीठासीन अधिकारी का यह आचरण अत्यन्त कठोर व आलोचनात्मक है।

3. यह कि सत्र परीक्षण सं० 168/13 सरकार बनाम मनमोहन एवं अन्य धारा 307 थाना नवाबाद में माननीय उच्च न्यायालय में समझौते के आधार पर इस न्यायालय से समझौतानामा तस्दीक किया जाकर उच्च न्यायालय भेजा जा चुका है फिर भी पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में नजदीक-नजदीक की तिथियां लगाकर एवं अभियुक्त को तीन चार बजे से पहले तिथि प्रदान नहीं करते है। पीठासीन अधिकारी का यह आचरण गलत व अशोभनीय है।
4. यह कि पीठासीन अधिकारी कथिपय प्रकरणों मे भ्रष्ट आचरण मे रहकर मनमाने तरीके से प्रभावित होकर फैसले देते है जिससे सम्पूर्ण न्यायपालिका की छवि धूमित हो रही है।
5. यह कि पीठासीन अधिकारी की विमल प्रकाश आर्या द्वारा शाम को 5-6 बजे तक पक्षकारों को रोककर रखा जाता है एवं जिन प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं होनी होती है उनमें भी काफी विलम्ब से भोजन अवकाश के बाद ही तिथियां दी जाती है जिससे पक्षकारों को अनावश्यक परेशानी होती है।
6. यह कि श्री विमल प्रकाश आर्या आर्थिक रूप से प्रभावित होकर (भ्रष्ट आचरण) में लिप्त है और कई अधिवक्ताओं द्वारा उनकी शिकायतें आप से मौखिक व लिखित रूप से की गई है।
7. यह कि श्री आर्या द्वारा सत्र परीक्षण सं० 203/13 सरकार बनाम महाराज एवं अन्य धारा 364 आई०पी०सी० थाना गुरसरांय के प्रकरण में पक्षद्रोही

Cont...3

212

8/96

(3)

साक्ष्य होने के बावजूद एवं अभियुक्तगण द्वारा उनकी आर्थिक मांग की पूर्ति न कर पाने के कारण सजायाब किया गया है।


8. यह कि श्री आर्या द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय से अभियुक्त की जमानत हो जाने के बाद जमानत F.T.C.I के प्रभारी की हैसियत से धनराशि नियत करने से इन्कार कर दिया था तथा अधिवक्ता द्वारा आप को लिखित व मौखिक शिकायत करने पर सत्र न्यायाधीश के हस्तक्षेप करने पर जमानत धनराशि नियत की गई थी इस प्रकार श्री आर्या का आचरण न्यायिक गरिमा को विपरीत है। जिसकी छायाप्रति सलग्न है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि FTC II झांसी श्री विमल प्रकाश आर्य के विरुद्ध विभागीय कार्यावाही करते हुए आपराधिक वादो का कार्य वापस लेने की कृपा करें।

दिनांक- 03/12/21

प्रतिलिपि-

मा० जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झांसी।

भवदीय

रमेश कुमार यादव

(एडवोकेट)

(मो० न०- 9451131007)